AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO 2 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH MUNICPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. **Short title and commencement.**
2. **Amendment of section 6.**
3. **Repeal of the H.P. Ordinance No. 1 of 2022 and savings.**

Bill No. 2 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall be deemed to have come into force on 3rd day of February, 2022.

Amendment of section 6.

2. In section 6 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in clause (a), in the proviso, for the words “thirty seven”, the words “forty one” shall be substituted.

Repeal of H.P. Ordinance No. 1 of 2022 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2022 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 6 of the HP Municipal Corporation Act, 1994(Act No. 12 of 1994) provides that the number of total seats to be filled by direct election in a Municipal Corporation shall not exceed thirty-seven and in each ward the population shall not be less than 2500. Now, it has been observed that in many wards, the population has increased many folds. It is difficult for an elected councillor to cater to the demands and needs of high population. Therefore, in order to ensure proper arrangements of civic amenities, balanced growth and people's participation in development activities; the limit of maximum number of wards is needed to be increased.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994) had to be amended urgently in view of the coming elections of the Municipal Corporation Shimla, therefore, the Governor, Himachal Pradesh , in exercise of the powers under clause(1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2022(Ordinance No. 1 of 2022) on 1st February, 2022 and the same was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 3rd February, 2022.

Now, the said ordinance is being replaced by a regular enactment without any modification.

(SURESH BHARDWAJ)
Minister-in-charge

SHIMLA:
The……..,2022

FINANCIAL MEMORANDUM

---Nil---

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

---Nil--

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

(SURESH BHARDWAJ)
Minister-in-charge

(RAJEEV BHARDWAJ)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA

THE……,2022

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1994 (ACT NO. 12 OF 1994) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

6. Delimitation of wards.- For the purposes of election of Councilors the Deputy Commissioner shall, in accordance with such rules as may be, prescribed by the State Government,-

(a) divide the municipal area into wards in such a manner that,-

(i) one Councilor shall be elected from each ward; and

(ii) as far as possible the population in each ward shall be equally distributed:

Provided that the population in each ward shall not be less than 2500 and the number of total seats to be filled by direct election shall not exceed thirty seven;

(b) determine the territorial extent of each ward; and

(c) determine the ward or wards in which seats are reserved under this Act.

2022 का विधेयक संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन)विधेयक, 2022

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 6 का संशोधन।
3. 2022 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह 03 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 6 का संशोधन

2 हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के खण्ड (क) के परन्तुक में, ''सैंतीस'' शब्द के स्थान पर '' इकतालीस'' शब्द रखा जाएगा।

2022 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।

3 (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2022 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन (केवल अध्यादेश हेतू)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 6 यह उपबन्धित करती है कि नगर निगम में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों (सीटों) की संख्या 37 (सैंतीस) से अधिक नहीं होगी और प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या 2500 (दो हजार पांच सौ) से कम नहीं होगी। अब, यह देखा गया है कि बहुत से वार्डों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अत्यधिक जनसंख्या की मांगों और आवश्यकताओं को पूर्ण करना निर्वाचित पार्षद के लिए कठिन हो गया है। अतः समुचित नागरिक सुख–सुविधाओं के उचित प्रबंध, संतुलित अभिवृद्धि और विकास में जन–सहभागिता सुनिश्चित करने के आशय से वार्डों की अधिकतम संख्या में वृद्धि की जानी आवश्यक हो गई है।

चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और नगर निगम शिमला के आगामी निर्वाचनों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्यांक 12) में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 फरवरी, 2022 को हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) अध्यादेश, 2022 (2022 का अध्यादेश संख्यांक 1) प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में 3 फरवरी, 2022 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित अधिनियमिती द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज)
प्रभारी मंत्री।

शिमलाः

तारीख.....2022

वित्तीय ज्ञापन

.....शून्य.....

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

.....शून्य.....

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधयेक, 2022

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(सुरेश भारद्वाज)
प्रभारी मंत्री।

———————————————

(राजीव भारद्वाज)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः.....2022

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के उद्धरण:-

धारा:

6. वार्डों का परिसीमन.– पार्षदों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपायुक्त, ऐसे नियमों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए हों,–

(क) नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में निम्नलिखित रीति के अनुसार विभक्त करेगा,–

(i) प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित होगा; और

(ii) प्रत्येक वार्ड की, जहां तक संभव हो, जनसंख्या को समान रूप से बांटा जाएगा:

परन्तु प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या 2500 से कम नहीं होगी और सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 37 से अधिक नहीं होगी;

(ख) प्रत्येक वार्ड के क्षेत्र को अवधारित करेगा; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन ऐसे वार्ड या वार्डों का अवधारण करेगा जहां स्थान आरक्षित किए गए हैं।